भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F No 22-40/Web/2020-22-INC Dated 05 APR 2022

CIRCULAR

To,

All State Governments

All State Nursing Councils

The Syllabus prescribed by Indian Nursing Council has to be strictly followed by all the Colleges duly recognized by the State Nursing Councils. It is imperative that all the Nursing colleges in all the states are required to implement the syllabus strictly in order to grant recognized qualifications.

Extreme care should be taken in the selection of books of private publishers so that there is no objectionable content that hurts the feeling of any class, community, gender or any religious group in society. Therefore, all the State Governments/ State Nursing Councils are requested to ensure that all the Universities/ colleges are following the syllabus prescribed by the Council for each nursing program and any text book that does not conform with the syllabus prescribed by the Indian Nursing Council or does not follow the other laws of the country or disrespects the education policy of India, must not be prescribed for the teaching and training of nurses.

Yours faithfully,

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

Copy to:

All Universities

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ संख्या 22–40 / वेबसाइट / 2020–22–आईएनसी　　　　　　　　दिनांक 05 अप्रैल 2022

परिपत्र

सेवा में,
सभी राज्य सरकार
सभी राज्य नर्सिंग परिषद्

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का विभिन्न राज्य उपचर्या परिषदों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सभी राज्यों के सभी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम को सख्ती से लागू करना आवश्यक एवं अनिवार्य है।

निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाषित पुस्तकों के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री न हो जिससे समाज के किसी वर्ग, समुदाय, लिंग या किसी धार्मिक समूह की भावना को ठेस पहुंचे। इसलिए, सभी राज्य सरकारों / राज्य उपचर्या परिषदों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी विष्वविद्यालय / कॉलेज प्रत्येक नर्सिंग कार्यक्रम के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं और कोई भी पाठ्य पुस्तक जो भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है या देश के अन्य कानूनों का पालन नहीं करती हैं या भारत की शिक्षा नीति का अनादर करती हैं, नर्सों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

भवदीया,

Sd/-

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर
सचिव
भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रतिलिपिः
सभी विष्वविद्यालय

Website: www.indiannursingcouncil.org　E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822